राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
88वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2024

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 88वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2024 को माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वित्त, सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, वित्त, अपर सचिव, कृषि, अपर सचिव, एम.एस.एम.ई, अपर सचिव, पर्यटन, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू. एस.आर.एल.एम., उप निदेशक, मत्स्य, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, संयुक्त निदेशक, पशुपालन, संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज, महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक, उतराखण्ड शासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य सहायक निदेशक, के.वी.आई.सी., आई.पी.पी.बी., अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एसोशियेशन, उत्तराखण्ड, राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में सदन को सम्बोधित करते हुये मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

- वित्तीय समावेशन हेतु डिजीटाईजेशन क्षेत्र में बैंकों द्वारा अधिक से अधिक कार्य किया जाय।
- राज्य के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। राज्य के पहाड़ी जिलों में ऋण–जमा अनुपात बढाये जाने हेतु बैंकों द्वारा योग्य नागरिकों एवं इकाईयों को ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- राज्य में पर्यटन की अधिक सम्भाव्यता को मध्यनजर रखते हुये, बैंकों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान किये जांय, जिससे अनुषंगी इकाईयों की संख्या में वृद्वि होगी एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- बैंक धोखाधड़ी की बढती घटनाओं को रोकने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय जागरुकता हेतु प्रचार–प्रसार किया जाये।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग ombudsman को सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे नागरिकों की बैंकिंग विषयक शिकायत का त्वरित निपटान संभव हो सके।
- राज्य में land record का डिजीटाईजेशन किया जाना चाहिए।
- स्वंय सहायता समूहों को big ticket size के ऋण प्रदान कर राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय जागरुकता हेतु दिनांक 26.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. ऋण जमा अनुपात :

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये :

- किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढाकर ऋण–जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।
- बैंक, विभिन्न फसली ऋण हेतु निर्धारित वित्त–मान (scale of finance) से अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- बैंक, AIF, PMFME एंव NLM योजना अंतर्गत big ticket size के ऋण प्रदान कर सकते है।
- कृषि क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में ऋण प्रदान कर ऋण जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 28/03/20

- विभिन्न बैंकों द्वारा सदन को बैंक शाखाओं की संख्या एवं ऋण–जमा अनुपात विषयक निम्नवत अवगत कराया गया :

क्र.सं.	बैंक	बैंक शाखाओं की संख्या	ऋण–जमा अनुपात
1	भारतीय स्टेट बैंक	445	40
2	पंजाब नेशनल बैंक	292	39
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	134	49
4	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	290	47
5	जिला सहकारी बैंक	332	61
6	बैंक ऑफ इंडिया	38	72
7	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	48	58

माननीय वित्त मंत्री द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- पहाड़ी जिलों यथा : बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिलों का ऋण जमा अनुपात बहुत कम हैं। बैंकों एवं विभागों को इन जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान देना होगा। बैंक, पहाड़ी जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु कार्य करें तथा विभाग सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में बैंकों को सहयोग प्रदान करें।
- बैंकों को कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में सम्बन्धित विभागों का सहयोग प्राप्त कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण हेतु फोकस करना होगा ताकि कृषकों की आय में वृद्वि हो एवं फार्म सेक्टर अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/सम्बन्धित विभाग)

2. Quantitative Parameters :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- माह मार्च, 2021 से तुलना करें तो राज्य में बैंक शाखाओं, बी.सी., ए.टी.एम. प्रतिलाख की संख्या में वृद्वि हुयी है।
- माह मार्च, 2021 से ए.टी.एम., इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग के उपभोक्ताओं की संख्या में बढोतरी हुयी है।
- माह मार्च, 2021 से BSBDA, PMJDY, PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY योजना अंतर्गत खातों की संख्या में वृद्वि हुयी है।
- माह दिसम्बर, 2023 तक 602289 कृषकों को रु. 7260.77 करोड़ तथा 436033 छोटे एवं मध्यम वर्ग के कृषकों को रु. 6672.03 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। दिनांक 29.02.24 तक 95168 पशुपालकों एवं 1673 मत्स्य पालकों को ऋण प्रदान किया गया है।
- माह दिसम्बर, 2023 तक 58756 स्वंय सहायता समूहों में से 35615 समूहों का लिंकेज किया गया है, जिसका average ticket size रु. 1,09,000.00 है। 113562 जे.एल.जी. को ऋण प्रदान किया गया है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- SHG को प्रदान किये गये ऋण का average ticket size अन्य राज्यों के सापेक्ष (रु. 1.09 लाख) कम है, जो कि रु. 1.50 लाख होना चाहिए तथा JLG में न्यूनतम 04 सदस्य होते हैं, यदि एक सदस्य को न्यूनतम रु. 50000.00 का ऋण प्रदान किया जाय तो JLG का average ticket size रु. 2.00 लाख होगा। अतः इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- अन्य जिलों की अपेक्षा जिला टिहरी एवं पौड़ी में स्वंय सहायता समूहों की संख्या में वृद्वि हुयी है तथा जिला चमोली में average ticket size ठीक है।

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 28/03/20

माननीय वित्त मंत्री द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का बैंक प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिकांश नागरिकों को योजना विषयक जानकारी प्राप्त हो सके एवं वे योजना अंतर्गत लाभान्वित हो सकें।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन में पहाड़ी जिलों को अधिक फोकस किया जाय।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

3. Skill Development Initiatives :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया आरसेटी, एस.आर.एल.एम. विभाग एवं प्रधान मंत्री कौशल विकास केन्द्रों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंक सखियों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य की विभिन्न आरसेटी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से अधिकांश बैंक सखियों को भारतीय स्टेट बैंक एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक सखियों के रुप में नियुक्त कर दिया गया है।

सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी राज्य स्तरीय समिति की विशेष बैठक में PAN India के डाटा प्रस्तुत किये जांय, जिससे उत्तराखण्ड राज्य की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो सके।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय साक्षरता कैम्पों के आयोजन हेतु व्यय की गयी राशि, नाबार्ड द्वारा रु. 6000.00 प्रति कैम्प के अनुसार पुर्नभुगतान की जाती है।

मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला देहरादून एवं उधम सिंह नगर में उचित संख्या में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, अतः अन्य जिलों में भी इसी अनुरुप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)

4. वार्षिक ऋण योजना 2023–24 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत ऋण उपलब्धि :

सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत अन्य सेक्टर की तुलना में फार्म सेक्टर में प्रगति कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अतः सम्बन्धित विभाग इस विषयक विश्लेषण करें एवं फार्म सेक्टर अंतर्गत प्रगति दर्ज करने हेतु एक समिति का गठन करें।
- डी.एल.आर.सी. बैठक में फार्म सेक्टर अंतर्गत प्रगति हेतु बैंक एवं समस्त सम्बन्धित विभाग विस्तृत चर्चा करें।
- सम्बन्धित विभागों द्वारा स्केल ऑफ फाईनेन्स माह मार्च तक पूर्ण रुप से तैयार कर दिया जाय।
- स्केल ऑफ फाईनेन्स समय से जारी करने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया जायेगा।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा फार्म सेक्टर अंतर्गत प्रगति दर्ज करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये :

- प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत राज्य का क्रेडिट प्लान जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में रु. 35000.00 करोड़ का था, को बढ़ाकर रु. 40158.00 कर दिया गया है।
- बैंक, विभिन्न फसली ऋण हेतु, निर्धारित वित्त–मान (scale of finance) से अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किये गये ऋण का average ticket size बढ़ाया जाय।
- FPO को ऋण प्रदान करने हेतु बनाये गये मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करनी होगी, जिससे ऋण की मात्रा में वृद्वि सम्भव हो सके।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य पालन विभाग/उद्यान विभाग/अन्य सम्बन्धित विभाग/अग्रणी जिला प्रबन्धक/वित्त विभाग/समस्त बैंक)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 28/03/20

4. <u>सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरकार प्रायोजित अधिकांश ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा कुछ योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति के समीप हैं, जिन्हे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

अपर सचिव, पर्यटन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- बैंक शाखाओं में ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण, DLTC द्वारा पूर्ण जांच उपरांत किया जाता है तथा बैंक शाखाओं द्वारा तदउपरांत भी ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है।
- बैंक शाखाओं में ऋण आवेदन पत्रो को लम्बी अवधि तक लम्बित रखा जाता है, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- ऋण आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति उपरांत वितरण में काफी विलम्ब होता है।

उद्यान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि पी.एम.एफ.एम.ई. योजना अंतर्गत, बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाय, जिससे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति की जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

5. बैठक के अंत में माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- राज्य के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाये जाने हेतु बैंक एवं विभाग आपसी समन्वय से आवश्यक कार्यवाही करें।
- फार्म सेक्टर अंतर्गत और अधिक प्रगति दर्ज करनी होगी तथा इसके लिए समबन्धित विभागों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वित्तीय जागरुकता बढाये जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा : PMJDY, PMJJBY, PMSBY एवं APY से सम्बन्धित विभाग एवं बैंकों द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं के प्रति जागरुक हों एवं योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
- विभिन्न योजनाओं अंतर्गत पहाड़ी जिलों के आंकड़े उत्साहजनक नही हैं, जिन्हे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय जिलों में योग्य व्यक्तियों एवं इकाईयों को ऋण प्रदान कर रोजगार के अवसर बढ़ाये जांय।
- बैठक में निजी बैंकों की अनुपस्थिति चिंताजनक है।
- निजी बैंकों को भी सरकार प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत प्रगति दर्ज करनी होगी।
- बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित अवशेष 15 गांवों को आच्छादित किया जाय।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/पशुपालन विभाग/मत्स्य पालन विभाग/उद्यान विभाग/अन्य सम्बन्धित विभाग/समस्त बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 28/03/20